

09/05/2025

आकाशवाणी ईटानगर

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार पाकिस्तान ने कल रात करीब 400 ड्रोन का इस्तेमाल कर लेह से लेकर सारक्रीक तक 36 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश की गई थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक और नॉन-काइनेटिक तरीकों का इस्तेमाल कर इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। आज नई दिल्ली में एक विशेष ब्रीफिंग में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने सैन्य ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, उन्होंने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर के हथियारों से भी गोलीबारी की।

Byte

विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तानी हमले के जवाब में, भारतीय सशस्त्र ड्रोन पाकिस्तान में चार हवाई रक्षा स्थलों पर दागे गए और उनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारी कैलिबर की तोपों और सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल करके नियंत्रण रेखा के पार तोपखाने से गोलाबारी भी की, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान घायल हो गए। उन्होंने कहा कि भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है।

000000000000000000000000

केंद्र सरकार ने थल सेना अध्यक्ष को एक विशेष अधिकार प्रदान कर दिया है। इसके तहत अब वे आवश्यकता पड़ने पर टेरिटोरियल आर्मी के सभी जवानों और अधिकारियों को देश की सुरक्षा तथा आवश्यक कार्यों के लिए बुला सकेंगे। टेरिटोरियल आर्मी के जवान और अधिकारी भारत की नियमित सेना को सहायता और पूरकता प्रदान करने के लिए कभी भी बुलाये जा सकते हैं। सेना प्रमुख को ये अधिकार टेरिटोरियल सेना नियम उन्नीस सौ अड़तालीस के तहत दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में टेरिटोरियल सेना की मौजूदा 32 इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 इन्फैंट्री बटालियनों को दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, अंडमान और निकोबार कमान और सेना प्रशिक्षण कमान के क्षेत्रों में शामिल किया है। यह आदेश 9 फरवरी 2028 तक तीन साल के लिए लागू रहेगा।

000000000000000000000000

सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से परहेज करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पिछले सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की संवेदनशील और स्रोत-आधारित जानकारी का खुलासा परिचालन प्रभावशीलता एवं सशस्त्र बलों के जान को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने समय से पहले रिपोर्टिंग के जोखिमों को रेखांकित करते हुए कारगिल युद्ध, 26/11 हमलों और कंधार अपहरण सहित कुछ पिछली घटनाओं का हवाला दिया।

परामर्श में कहा गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमों के अनुसार, आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा आवधिक ब्रीफिंग की अनुमति है।

000000000000000000000000

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. परनाइक, ने आज राजभवन, ईटानगर में वक्फ सुधार जागरूकता बैठक में भाग लिया। कार्यक्रम में समुदाय के नेता, विद्वान और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि द्वारा हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के महत्व पर चर्चा की। बैठक में राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने एवं अहम सुधार लाने के लिए लागू किया गया है। बैठक में राज्यपाल ने सभी धर्मों के लोगों की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने लोगों से समाज, राज्य और राष्ट्र की प्रगति के लिए सद्भावना और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने की अपील की।

000000000000000000000000

मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. परनायक से मुलाकात की। उन्होंने राज्य के लिए प्रमुख सुरक्षा और विकासात्मक चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की और एक सुरक्षित, समृद्ध और डिजिटल रूप से सशक्त अरुणाचल प्रदेश के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता साझा की। भारत-म्यांमार सीमा पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की हाल ही में मंजूरी पर चर्चा करते हुए, राज्यपाल ने दूरदराज के सीमावर्ती समुदायों के उत्थान को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उद्यमिता और स्वरोजगार पर जोर देते हुए कौशल विकास के माध्यम से राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित चर्चा की। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के तरीकों, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने की उनकी क्षमता पर चर्चा की।

000000000000000000000000

भारत सरकार के वस्त्र और हस्तशिल्प मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), कोलकाता के सहयोग से उद्योग विभाग, तवांग द्वारा आयोजित व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत आज ज़ोमखांग हॉल, तवांग में कारीगरों के लिए एक दिवसीय जागरूकता सह कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में तवांग के विभिन्न गांवों के 100 से अधिक कारीगरों ने भाग लिया, जिनमें स्वयं सहायता समूह के सदस्य और पारंपरिक बुनकर भी शामिल थे। इन सत्रों का उद्देश्य कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना था तथा यह सुनिश्चित करना था कि उनकी सांस्कृतिक विरासत का सार अक्षुण्ण रहे।

000000000000000000000000